

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97-अ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 मई 2004—वैशाख 22, शक 1926

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2004

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-14/2004/वा.क. (पं.)/पांच (45).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा पंजीयन जिला राजनांदगांव से रजिस्ट्रीकरण उप-जिला डोंगरगांव (राजनांदगांव) को सीमाओं के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को अपवर्जित कर उन्हें रजिस्ट्रीकरण उप-जिला राजनांदगांव में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

अनु. क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	प.ह.नं. (3)	राजस्व निरीक्षक मण्डल (4)	उप-तहसील (5)
1.	गस्तापार	3	राजनांदगांव	राजनांदगांव
2.	धनगांव	3	राजनांदगांव	राजनांदगांव
3.	बम्हनी	3	राजनांदगांव	राजनांदगांव
4.	लिनटिया	3	राजनांदगांव	राजनांदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	सुकुल दैहान	3	राजनांदगांव	राजनांदगांव
6.	इन्दामरा	4	राजनांदगांव	राजनांदगांव
7.	पेण्डो	4	राजनांदगांव	राजनांदगांव
8.	बगरा	4	राजनांदगांव	राजनांदगांव
9.	भानपुरी	4	राजनांदगांव	राजनांदगांव
10.	रीवागहन	4	राजनांदगांव	राजनांदगांव
11.	रेवाडीह	4	राजनांदगांव	राजनांदगांव
12.	भंवरमरा	25	राजनांदगांव	राजनांदगांव
13.	भोड़िया	25	राजनांदगांव	राजनांदगांव
14.	सिंघोला	25	राजनांदगांव	राजनांदगांव
15.	हरदी	25	राजनांदगांव	राजनांदगांव
16.	आलीखुटा	26	राजनांदगांव	राजनांदगांव
17.	उसरीबोड़	26	राजनांदगांव	राजनांदगांव
18.	डोड़िया	26	राजनांदगांव	राजनांदगांव
19.	धामनसरा	26	राजनांदगांव	राजनांदगांव
20.	भोधीपार कला	26	राजनांदगांव	राजनांदगांव
21.	भोधीपार खुर्द	26	राजनांदगांव	राजनांदगांव
22.	महराजपुर	26	राजनांदगांव	राजनांदगांव
23.	रानीतराई	26	राजनांदगांव	राजनांदगांव

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 मई 2004

क्रमांक एफ 10-14/2004/वा.क. (पं.)/पांच (45).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-14/2004/वा.क. (पं.)/पांच (45), दिनांक 12-5-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 12th May 2004

NOTIFICATION

No. F 10-14/2004/CT(R)/V (45).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government hereby excludes the following Villages from the limits of Registration sub-district Dongargaon (Rajnandgaon) and includes them in the limits of Registration sub-district, Rajnandgaon, namely : —

S. No. (1)	Name of Villages (2)	Patwari Circle (3)	Revenue Inspector (4)	Sub-District Circle (5)
1.	GATAPAR	3	Rajnandgaon	Rajnandgaon
2.	DHANGAON	3	Rajnandgaon	Rajnandgaon
3.	BAMHNI	3	Rajnandgaon	Rajnandgaon
4.	LITIYA	3	Rajnandgaon	Rajnandgaon
5.	SUKUL DAIHAN	3	Rajnandgaon	Rajnandgaon
6.	INDAMARA	4	Rajnandgaon	Rajnandgaon
7.	PENDRI	4	Rajnandgaon	Rajnandgaon
8.	BARGA	4	Rajnandgaon	Rajnandgaon
9.	BHANPURI	4	Rajnandgaon	Rajnandgaon
10.	RIWAGAHAN	4	Rajnandgaon	Rajnandgaon
11.	REWADIH	4	Rajnandgaon	Rajnandgaon
12.	BHANWARMARA	25	Rajnandgaon	Rajnandgaon
13.	BHODIA	25	Rajnandgaon	Rajnandgaon
14.	SINGHOLA	25	Rajnandgaon	Rajnandgaon
15.	HARDI	25	Rajnandgaon	Rajnandgaon
16.	ALIKHUTA	26	Rajnandgaon	Rajnandgaon
17.	USRIBOD	26	Rajnandgaon	Rajnandgaon
18.	DODIYA	26	Rajnandgaon	Rajnandgaon
19.	DHAMANSARA	26	Rajnandgaon	Rajnandgaon
20.	BHOTHIPARKALA	26	Rajnandgaon	Rajnandgaon
21.	BHOTHIPARKURD	26	Rajnandgaon	Rajnandgaon
22.	MAHARAJPUR	26	Rajnandgaon	Rajnandgaon
23.	RANITARAI	26	Rajnandgaon	Rajnandgaon

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
बी. 2-22-छत्तीसगढ़ गबट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग,
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 मई 2004—वैशाख 11, शक 1926

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, डाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2004

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-15/2004/वा.क. (पं.)/पांच (46).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा पंजीयन जिला बिलासपुर से रजिस्ट्रीकरण उप-जिला पण्डरिया को अपवर्जित करती है तथा उसे पंजीयन जिला राजनांदगांव में सम्मिलित करती है.

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2004

क्रमांक एफ 10-15/2004/बा.क. (पं.)/पांच (46).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2004/बा.क. (पं.)/पांच (46), दिनांक 1-5-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 1st May 2004

NOTIFICATION

No. F 10-15/2004/CT(R)/V(46).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government hereby excludes Registration sub-district Pandaria from Registration District Bilaspur and enclaves it in the Registration District Rajnandgaon.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.